

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 225]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 अगस्त 2025—श्रावण 22, शक 1947

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2025

क्र. 30-08-2002-दस-3.—मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2022 के नियम 1 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, 1 अगस्त 2025 को उस दिनांक के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त नियम प्रवृत्त होंगे.

No. 30-08-2002-X-3.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (3) of Rule 1 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2022, the State Government, hereby, appoints 1st August 2025, to be the date for the enforcement of the said rules.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.